मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
मंत्रालय, भोपाल
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 24 /06/2019

क्र. एफ 16 -08/2019/ए-ग्यारह:: राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स प्रोक्टर एंड गेम्बल होम प्रोडक्ट्स प्रा.लि., द्वारा मंडीदीप, जिला रायसेन स्थित पूर्व स्थापित इकाई में रू. 500 करोड़ के पूंजी निवेश से विस्तार/विविधीकरण अंतर्गत बेबी डायपर एवं सेनेटरी नेपकिन परियोजना स्थापना संबंधी प्रस्ताव को निम्नानुसार सुविधाएं दी जावे-

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता** -उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2018) अनुसार निवेश प्रोत्साहन सहायता का लाभ शर्तों के अध्याधीन दिया जावे।
2. **विद्युत टैरिफ में रियायत** -मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश में निहित प्रावधान अनुसार टैरिफ पर रियायत दी जावे ।
3. परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2018) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।
4. कम्पनी की परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष में उद्योग स्थापनार्थ समस्त प्रभावी कदम उठा लिये गये हो।
5. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(डॉ. राजेश राजौरा) 24/6/19
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ.क्र. एफ 16 -08/2019/ए-ग्यारह

भोपाल, दिनांक 24 /06/2019

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, तकनीकि शिक्षा, कौशल एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल।
4. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।
5. कलेक्टर जिला रायसेन।
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल।
7. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स प्रोक्टर एंड गेम्बल होम प्रोडक्ट्स प्रा.लि., P&G Plaza, Cardinal Gracias Road, Chakala, Andheri (E) Mumbai - 400099

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग